..........बनाम

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00133 दायरा दिनांक : 04.02.2020

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1. घींसी बाई पत्नि स्व. किशनलाल
2. चन्द्रमोहन पुत्र स्व. किशनलाल
3. नेमीचन्द पुत्र स्व. किशनलाल
4. भगवती बाई पुत्री स्व. किशनलाल
5. रघुवीर आत्मज स्व. जगदीश
6. प्रदीप पुत्र स्व. जगदीश
7. सावित्री बाई पत्नी स्व.जगदीश
8. रामदयाल पुत्र भवंरलाल

जाति धाकड, निवासीगण ग्राम भीलवाड़ा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.03.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 70/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर यह कथन किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम अमीनपुरखेडी, तहसील छबड़ा में खसरा नम्बर 13 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। ग्राम अमीनपुरखेडी, तहसील छबड़ा की भूमि खसरा नं. 27 की काबिल काश्त की लगभग 250 बीघा समस्त भूमियात अन्य व्यक्तियों को पूर्व से "रेगुलाईज (नियमन) एलोटमेन्ट होकर काश्तकारों के खाते में दर्ज हो चुकी है। ग्राम अमीपुरखेडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 32/1 रकबा 02 बीघा व खसरा नम्बर 42/1 रकबा 01 बीघा पर गत् 50 वर्षो से वादीगण किशनलाल का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2017 से वाद वादीगण स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि, न्याय संचिका में निहित तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को सुना और न तलब किया, न ही दिनांक 09.08.2017 की पेशी हेतु कोई सूचना, अथवा सम्मन अथवा नोटिस के द्वारा अपीलान्ट को इत्तिला करवाई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने ही वाद निर्णित कर डिक्री कर दिया। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार वाद से सम्बन्धित समस्त पक्षकारों को निर्णय पारित करने से पूर्व सुना जाना अति आवश्यक है। तत्पश्चात ही कोई भी निर्णय या आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत अपना निर्णय व डिक्री पारित करने मे भारी कानूनी त्रुटि की है। उक्त वाद नियमित वाद था, जिसे न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप संहिता मे अंकित प्रक्रिया के अनुसार ही चलाना चाहिए था, और संहिता की प्रक्रिया के अनुसार तलबी, जवाबदावा, जवाब प्रार्थना पत्र, तनकी कायम कर दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर बहस सुनने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त कानूनी प्रक्रिया को नजर अन्दाज कर आरबिट्रेरी रूप से वाद को निर्णित कर दिया है, जो आरबिट्रेरी रूप से विदआउट जूरिशडिक्सन एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो व कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ होने से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। वाद मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। उक्त तथ्यपूर्ण रूप से अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में था, लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून से परे जाकर उक्त वाद को मनमाने रूप से मिली भगत कर निर्णित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनय है कि अपील अपीलान्ट सव्यय स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2017 निरस्त फरमाया जावे, वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादी सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.01.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट किशनलाल ने धारा 88, 188 का वाद पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और हमारी अनुपस्थिति में ही प्रकरण का निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने 28 माह बाद अपील पेश की जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है। अपील में वादग्रस्त आराजी का उल्लेख नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का वाद पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 14.11.2012 को उपखण्ड अधिकारी, छबडा में हमारे पक्ष में हुआ था जिसकी कोई अपील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 188 का दावा वर्तमान में पेश किया। वादग्रस्त आराजी पर 50 साल से हमारा कब्जा है, हमारे खिलाफ बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन कियझं

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर यह कथन किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि वाके ग्राम अमीनपुरखेडी, तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। ग्राम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अमीनपुरखेडी, तहसील छबड़ा की भूमि खसरा नं. 27 की काबिलकाश्त की लगभग 250 बीघा समस्त भूमियात अन्य व्यक्तियों को पूर्व में "रेगुलाईज (नियमन) एलोटमेन्ट होकर काश्तकारों के खाते में दर्ज हो चुकी है। ग्राम अमीपुरखेडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 32/1 रकबा 02 बीघा व खसरा नम्बर 42/1 रकबा 01 बीघा पर गत् 30 वर्षों से वादीगण किशनलाल का कब्जाकाश्त है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2017 को यह निर्णय पारित किया गया है कि वादीगण 2, 3, 4 का वाद पत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है, ग्राम अमीरपुर उर्फ खेडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा पर वादी नं. 2 रघुवीर पुत्र जगदीश, वादी नं. 3 रामदयाल पुत्र भंवरलाल, वादी नं. 4 नेमीचन्द पुत्र किशनलाल समस्त जाति धाकड निवासी गण भीलवाडानीचा तहसील छबडा, को खातेदार घोषित किया जाता है, तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के उक्तानुसार खातेदारी में दर्ज राजस्व रेकार्ड किया जावे, तदनुसार दर्ज राजस्व रेकार्ड हेतु डिक्री पारित कर प्रेषित की गयी। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रतिवादी ने प्रकरण संख्या 2020/00133 से इस न्यायालय में अपील पेश की गयी है। इस न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अनुतोष चाहते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट को नोटिस जारी कर वाद में तलबी हेतु दिनांक 09.08.2017 पेशी नियत की गई। जबकि उक्त नोटिस अपीलांट प्रतिवादी को कभी नहीं मिला, रेस्पो. द्वारा नोटिस की तामील अपीलांट पर कभी नहीं करवाई। इसके उपरांत दिनांक 09.08.2017 को रेस्पोडेंट द्वारा धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, और दिनांक 09.08.2017 की आदेशिका में प्रार्थना पत्र की प्रति तहसीलदार छबडा को प्रेषित की, का इन्द्राज कर दिया। जबकि उक्त वाद में तहसीलदार छबडा को न तो कोई सम्मन तामील करवाया गया, न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रतिप्रेषित किया गया, तथा न ही तहसीलदार छबडा को बुलाया गया। उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी 16.08.2017 को मूल वाद बहस हेतु नियत कर दिया गया, दिनांक 16.08.2017 को पत्रावली में वकील वादी उपस्थित है, मूल वाद पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई, लेकिन उक्त दिनांक की आदेशिका में कही भी प्रतिवादी अपीलांट की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज नहीं की। सीधे ही उभयपक्षों की बहस सुनी गई, अंकित करते हुए निर्णय पारित कर दिया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण से मिल कर प्रतिवादी अपीलांट को बिना सुने उनकी जानकारी में लाये

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मनमाने तौर पर पारित किया गया है, जो सर्वथा गलत आधार पर पारित किया गया है, निर्णय दिनांक 16.08.2017 से अंसतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2017 निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सवंत् 2071–74 ग्राम अमीरपुर उर्फ खेडी खाता संख्या 1 राजस्थान सरकार खसरा नं. 13/2 रकबा 9.06 बीघा बजंड सिवायचक दर्ज रेकार्ड है। गिरदावरी ग्राम अमीरपुर उर्फ खेडी खसरा नं. 13/2 रकबा 9.06 बीघा सवंत 2071 फसल रबी खरीफ निल है। इसी प्रकार गिरदावरी ग्राम अमीरपुर उर्फ खेडी खसरा नं. 13/2 रकबा 9.06 बीघा सवंत 2072 फसल खरीफ 9 बीघा सोयाबीन असिंचित फसल रबी गेंहूं सिंचित 9 बीघा दर्ज है। खसरा परिवर्तित (पी–14) वर्ष 2060 में खसरा नं. 13/2 कुल रकबा 9.06 बीघा पर जगदीश पुत्र किशनलाल, रामदयाल पुत्र भंवरलाल, 3 – 3 बीघा तथा नेमीचन्द पुत्र किशनलाल 2 बीघा आराजी अतिक्रमित रकबा दर्शाया गया है। खसरा परिवर्तित (पी–14) वर्ष 2062 में खसरा नं. 13/2 कुल रकबा 9.06 बीघा पर जगदीश पुत्र किशनलाल, रामदयाल पुत्र भंवरलाल, नेमीचन्द पुत्र किशनलाल प्रत्येक के 3–3 बीघा आराजी अतिक्रमित रकबा दर्शाया गया है। खसरा परिवर्तित (पी–14) वर्ष 2064 में खसरा नं. 13/2 कुल रकबा 9.06 बीघा पर जगदीश पुत्र किशनलाल, रामदयाल पुत्र भंवरलाल, नेमीचन्द पुत्र किशनलाल प्रत्येक के 3–3 बीघा आराजी अतिक्रमित रकबा दर्शाया गया है। खसरा परिवर्तित (पी–14) वर्ष 2071 में खसरा नं. 13/2 कुल रकबा 9.06 बीघा पर रघुवीर पुत्र जगदीश, रामदयाल पुत्र भंवरलाल, नेमीचन्द पुत्र किशनलाल प्रत्येक के 3–3 बीघा आराजी अतिक्रमित रकबा दर्शाया गया है। खसरा परिवर्तित (पी–14) वर्ष 2072 में खसरा नं. 13/2 कुल रकबा 9.06 बीघा पर रघुवीर पुत्र जगदीश, रामदयाल पुत्र भंवरलाल, नेमीचन्द पुत्र किशनलाल प्रत्येक के 3–3 बीघा आराजी अतिक्रमित रकबा दर्शाया गया है। न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत् अतिक्रमी श्री जगदीश पुत्र किशनलाल, रघुवीर पुत्र जगदीश, रामदयाल पुत्र भंवरलाल, नेमीचन्द पुत्र भंवरलाल को सवंत 2058 से 2072 तक लगातार नोटिस जारी किये हुए है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह तथ्य सही है कि तीनों अतिक्रमी सवंत् 2058 से 2072 तक खसरा नम्बर 13/2 रकबा 9.06 बीघा में अलग अलग संवत् में लगभग 3–3 बीघा पर अतिक्रमी के रूप में अंकित है। भू

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अधिनियम 1956 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत् बने नियमों में सिर्फ आवंटन कमेटी ही कब्जे के आधार पर नियमन कर सकती है। अपीलांट वादी का खसरा नम्बर यदि तत्समय उद्घोषणा में आता तो आवंटन कमेटी के समक्ष अन्य आवेदकों की भांति आवेदन कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत् कब्जे के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी गयी निश्चित समयावधि (कटऑफ डेट) में यदि अतिक्रमी का कब्जा साबित होता है तो नियमानुसार उक्त नियमों के तहत् नियमन करने का अधिकार सिर्फ आवंटन कमेटी को है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2017 त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां
.... अपीलांट

.... **अपीलांट** **बनाम**

1. घींसी बाई पत्नि स्व. किशनलाल
2. चन्द्रमोहन पुत्र स्व. किशनलाल
3. नेमीचन्द पुत्र स्व. किशनलाल
4. भगवती बाई पुत्री स्व. किशनलाल
5. रघुवीर आत्मज स्व. जगदीश
6. प्रदीप पुत्र स्व. जगदीश
7. सावित्री बाई पत्नी स्व.जगदीश
8. रामदयाल पुत्र भवंरलाल
   जाति धाकड, निवासीगण ग्राम भीलवाड़ा नीचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2020/00133** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
मु.द.नं0 **70/2017** निर्णय व डिक्री दिनांक – **16.08.2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **24 माह 02** सन् **2025**

श्री **जितेन्द्र चौरसिया** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **महेन्द्र कुमार जैन** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2017 अपास्त किया जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **24 माह 03 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)